

सर्व आदेशानुसार कार्यवाही की पेश हो।

2.7.15

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत  
अदालत सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत  
मोडमपुरा पर प्रस्तुत हुई।  
काडी रामगोपाल व पुत्रवती गण  
नं 1, 3 व 7 व 9 उपस्थित।  
पैरोर सरकर उपस्थित। उपर  
पक्षों को सुना गया। पत्रावली  
का अवलोकन किया गया।  
काडी द्वारा अराजी खर्च 26 रु  
27 बरसे ग्राम कोर्टी तहसील  
वसिधायी में से 0.50 इंचर प्रीम  
से अफत नाम खाने दारी में लगाये  
जाने की अधिभायता की है।  
नाकल खसम गिरफ्तारी खर्च 2058  
ग्राम कोर्टी का अवलोकन करते

नेतीपर्सि

विपक्ष  
व्यंगश्री

काडी  
पुत्रवती

पुत्रवती  
श्रीवती

मौजूदा पत्रावली  
की प्रतीति है मकान  
के नुसखे डेपुति।  
पुत्रवती के पत्रावली  
पर अफत की प्रतीति  
पुत्रवती के पत्रावली  
पर अफत की प्रतीति  
पुत्रवती के पत्रावली  
पर अफत की प्रतीति

27/15  
पुत्रवती

पर पाया गया कि आराजी वन  
 26 के सकार, दुष्म व कार्यवाही  
 करी हुई है तथा 27  
 27 को दुष्म आवाही वृद्ध पंचायत  
 मोरपदपुर के नाम दर्ज है  
 उपर्युक्त प्रतिवादीगण के भी  
 बताया कि वादग्रह आराजी के  
 उनके पुराना सकार वने हुए हैं,  
 वादग्रह आराजी के  
 वारी का कब्जा नहीं होने के  
 कारण वल वारी इली स्टेशन  
 पर खारिज किया जाता है।  
 पत्रावली केवल शुद्ध होकर  
 लम्बे के रूप में तथा 27 पर  
 दर्ज है।